2025:CGHC:45696

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 857/2023

1– हरीश चंद्रवंशी पिता स्व. श्री गोविंद लाल चंद्रवंशी, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम–मेढ़ा, थाना–डोंगरगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

... अपीलार्थी

विरुद्ध

1– छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः जिला मजिस्ट्रेट, दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

...प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री रजनीश सिंह बघेल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से	:	श्री दिलमन रति मिंज, शासकीय अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी

बोर्ड पर निर्णय

08/09/2025

1. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह दाण्डिक अपील दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन, चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, पोक्सो, जिला– दुर्ग (छत्तीसगढ़) द्वारा विशेष दाण्डिक प्रकरण(पोक्सो) क्रमांक 112/2019 में दिनांक 17.02.2023 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें वर्तमान अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2)(ढ़) के अधीन सिद्धदोष किया गया है एवं 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10,000/– रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम होने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया गया है।

2. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पीड़िता एल.सी. (अ.सा.–1) ने पुलिस चौकी पद्मनाभपुर, दुर्ग में एक टंकित लिखित शिकायत (प्रदर्श पी/1) दर्ज कराई, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि वह ग्राम–ए की निवासी है और पी.ए.टी. परीक्षा की तैयारी के प्रयोनार्थ ए–नगर में आर.बी. (परीक्षित नहीं) के घर पर पेइंग गेस्ट के रूप में रह रही थी। इस अवधि के दौरान, उसका परिचय अपीलार्थी से हुआ, जिसने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। यद्यपि, अवयस्क होने के कारण उसने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। अपीलार्थी उससे कई बार मिलता था और उसे लुभावनी बातें कहकर फुसलाने का प्रयत्न करता था। उसने विशेषतः यह आरोप

लगाया कि दिनांक 02.09.2018 को अपीलार्थी उसके कमरे में घुसा और पानी मांगा। जब वह पानी लाने गई और वापस लौटी, तो अपीलार्थी ने दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ बलपूर्वक बलात्संग किया। जब उसने शोर मचाने का प्रयत्न किया, तो उसने उसके गाल पर थप्पड़ मारा और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। उसने उसे यह भी बताया कि उसने निर्वस्त्र अवस्था में उसका एक वीडियो बना लिया है और इसे वायरल करने की धमकी दी। ऐसी धमकियां देकर अपीलार्थी ने उसके साथ दो बार और बलात्संग किया, जिसके परिणाम स्वरूप वह गर्भवती हो गई और उसने इस घटना की जानकारी अपने माता-पिता अर्थात् अपने पिता (अ.सा.-2) और माता (परीक्षित नहीं) को दी। उन्होंने अपीलार्थी को बुलाया, यद्यपि वह प्रारंभ में उससे विवाह करने हेतु सहमत हो गया था, किंतु बाद में वह फरार हो गया।

3. पीड़िता ने दिनांक 21.05.2019 को समय-पूर्व एक शिशु कन्या को जन्म दिया, जिसके कारण उचित उपचार हेतु शिशु और माता/पीड़िता दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस सूचना के आधार पर, दिनांक 24.06.2019 को शून्य पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी/2 दर्ज की गई, जिसमें उल्लेख किया गया कि घटना दिनांक 02.09.2018 की शाम 5 बजे से लेकर नवंबर 2018 के महीने तक की अवधि के दौरान घटित हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. विवेचना अधिकारी शैल शर्मा (अ.सा.-10) द्वारा अपराध विवरण प्रपत्र और घटना-स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी/3 तैयार किया गया। उन्होंने जन्म और मृत्यु अधिनियम के अधीन जारी जन्म प्रमाण पत्र वस्तु ए 1(सी) और मेट्रिकुलेशन (दसवीं कक्षा) प्रमाण पत्र वस्तु ए 2(सी) को भी जब्त किया, जिसमें जब्ती पत्रक प्रदर्श पी/4 के अनुसार पीड़िता की जन्म तिथि 24.04.2001 दर्ज थी। दं.प्र.सं. की धारा 164 के अधीन पीड़िता का कथन दर्ज किया गया। पटवारी राजेश बंजारी (अ.सा.-6) द्वारा प्रदर्श पी/6 के माध्यम से नजरी नक्शा तैयार किया गया। प्रदर्श पी/8 के माध्यम से अभियुक्त का अंतःवस्त्र जब्त किया गया। डॉ. बी.एन. देवांगन (अ.सा.-3) द्वारा प्रदर्श पी/10 के माध्यम से अपीलार्थी का चिकित्सीय परीक्षण भी कराया गया और उसे संभोग करने में सक्षम पाया गया, तथा उक्त चिकित्सक द्वारा प्रदर्श पी/11 के माध्यम से उसके अंतःवस्त्र का भी परीक्षण किया गया। डॉ. मंजू राठौर (अ.सा.-4) द्वारा प्रदर्श पी/12 के माध्यम से पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिन्होंने अभिमत दिया कि हाइमन पुराना और फटा हुआ था तथा एक वेजाइनल स्लाइड तैयार की गई। साक्षियों के कथन दर्ज किए गए। न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रदर्श पी/25 के अनुसार, वेजाइनल स्लाइड और अपीलार्थी के अंतःवस्त्र में वीर्य या मानव शुक्राणु का कोई धब्बा नहीं पाया गया। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत, क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को विचारण हेतु सत्र न्यायालय को उपार्पित किया।

5. विचारण के दौरान, अपीलार्थी/आरोपी ने अपने दोष को अस्वीकार किया और विचारण चाहा। अपने प्रकरण को साबित करने हेतु, अभियोजन ने कुल 10 साक्षियों का परीक्षण कराया और प्रदर्श पी/1 से पी/25 तक तथा डी/1 से डी/6 तक के 25 दस्तावेजों और वस्तु ए 1(सी) (जन्म प्रमाण पत्र) तथा वस्तु ए 2(सी) (मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र) को प्रदर्शित किया। अपीलार्थी/आरोपी ने दं.प्र.सं. की धारा 313 के अधीन दर्ज अपने कथन में कहा कि उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, यद्यपि, उसने अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

6. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों की विवेचना करने के उपरांत, अपीलार्थी को इस निर्णय के प्रथम कण्डिका में उल्लिखित उपरोक्त अपराध हेतु सिद्धदोष एवं दंडित किया, जिसके विरुद्ध वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

7. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष विपरीत है। उनका तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में अत्यधिक विलंब हुआ है, यद्यपि कथित घटना पहली बार दिनाँक 02.09.2018 को हुई थी और तत्पश्चात यह आरोप लगाया गया कि अपीलार्थी ने दो बार पुनः बलात्संग किया, तथापि पीड़िता ने उक्त घटना के बारे में किसी को नहीं बताया और केवल गर्भवती होने तथा शिशु को जन्म देने के बाद ही उसने वर्तमान अपीलार्थी के विरुद्ध झूठा आरोप लगाया। उनका तर्क है कि अपीलार्थी का पीड़िता के साथ कोई संबंध नहीं है। आगे उनका यह भी तर्क है कि शिशु का अपीलार्थी के साथ संबंध स्थापित करने के लिए कोई डी.एन.ए. परीक्षण नहीं कराया गया। उनका यह भी तर्क है कि शिशु के जन्म के संबंध में कोई जन्म प्रमाण पत्र या कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे उनका यह भी तर्क है कि दस्तावेज (प्रदर्श डी/1 से डी/6) केवल पीड़िता के स्वयं के उपचार से संबंधित हैं। वे यह भी उल्लेख करते हैं कि पीड़िता ने स्वयं कहा है कि उसने शिशु को घर पर जन्म दिया था। विद्वान अधिवक्ता का आगे यह तर्क है कि अभियोजन यह साबित करने में भी असफल रहा कि पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की थी और नगर निगम जन्म पंजी (प्रदर्श पी/15)का अवलंब नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कोई पूर्ण पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः प्रविष्टियों पर सुरक्षित रूप से अवलंब नहीं लिया जा सकता और अभियोजन इस संबंध में भी असफल रहा है। आगे उनका यह भी तर्क है कि स्वयं पीड़िता के पिता ने शपथ–पत्र (प्रदर्श डी/10) प्रस्तुत कर स्वीकार किया कि विभिन्न प्रमाणपत्रों में पीड़िता का नाम बदला गया था। उनका यह भी तर्क है कि पेइंग गेस्ट हॉस्टल का कोई भी स्वतंत्र साक्षी , जहाँ अपीलार्थी द्वारा कथित घटना कारित की गई थी, और पीड़िता की माँ, जिसे पीड़िता ने घटना की जानकारी दी थी, का परीक्षण नहीं कराया गया है। उनका तर्क है कि ऐसे महत्वपूर्ण साक्षियों का परीक्षण न किया जाना अभियोजन के लिए घातक है। अतः, उपरोक्त त्रुटियों को दृष्टिगत रखते हुए, वे अंत में प्रार्थना करते हैं कि अपील को स्वीकार किया जाए और अपीलार्थी को उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाए। अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने **विजयन विरुद्ध**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

केरल राज्य[1]के प्रकरण का अवलंब लिया है, जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब होने और डीएनए परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत न होने की स्थिति में अपीलार्थी को दोषमुक्ति का लाभ दिया गया था।

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया, जो पूर्णतः उचित है एवं इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा अभिलेख का अत्यंत सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया गया।

10. इस न्यायालय के समक्ष जो प्रथम प्रश्न उद्भूत होता है, वह यह है कि क्या पीड़िता (अ.सा.–1) कथित घटना की तिथि अर्थात् 02.09.2018 को 18 वर्ष से कम आयु की थी। इस संबंध में, अभियोजन ने विनीत वर्मा (अ.सा.–9), सहायक राजस्व निरीक्षक का परीक्षण कराया है, जिन्होंने कथन के दिन मूल जन्मतिथि पंजी प्रस्तुत किया और दस्तावेज प्रदर्श पी/15 को साबित किया, जिसमें पीड़िता की जन्म तिथि 24.04.2001 दर्ज थी और कॉलम–6 में यह उल्लेख था कि पीड़िता का जन्म डॉ. गुलाटी नर्सिंग होम में हुआ था और उसका नाम एल.सी. के रूप में दर्ज था; तथा उक्त जानकारी उसके पिता डी.सी. द्वारा दिनाँक 14.03.2002 को जन्म एवं मृत्यु पंजी को प्रदान की गई थी। विवेचना के दौरान, पीड़िता का मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र (वस्तु–ए 2/सी) और जन्म प्रमाण पत्र (वस्तु–ए 1/सी) भी एकत्र किए गए थे। इन दोनों दस्तावेजों में समान जन्म तिथि अर्थात् 24.04.2001 दर्ज थी। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन जन्म प्रमाण पत्र पंजी में दर्ज जन्म तिथि के संबंध में, जो कि एक सार्वजनिक दस्तावेज है, जब ऐसा प्रमाण पत्र उक्त अधिनियम की धारा 17(2) के अधीन साबित हो जाता है, तो यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 के अधीन साक्ष्य में स्वीकार्य है, इसलिए इसके लिए किसी औपचारिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. इसके अतिरिक्त, किशोर न्याय (बालकों का देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 94, आयु की उपधारणा और अवधारण के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित करती है और यदि उपलब्ध हो, तो शाला से प्राप्त जन्म तिथि प्रमाण पत्र, या संबंधित परीक्षा बोर्ड से प्राप्त मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र को प्राथमिकता देती है।

12. जरनैल सिंह विरुद्ध **हरियाणा राज्य**[2] के प्रकरण में, उस समय लागू किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2007 के नियम 12 के सीमा पर विचार करते हुए, उक्त निर्णय के कण्डिका 23 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिमत व्यक्त किया है कि यद्यपि नियम 12 सख्ती से केवल विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की आयु अवधारण करने हेतु लागू होता है, फिर भी हमारा यह विचार है कि उक्त वैधानिक प्रावधान ही किसी ऐसे बालक की आयु अवधारित करने का आधार होना चाहिए, जो अपराध का पीड़ित है। हमारी दृष्टि में, जहाँ तक अवयस्कता के विवाद्यक

1 (2008) 14 SCC 763
2 (2013) 7 SCC 263

का प्रश्न है, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक और अपराध के पीड़ित बालक के मध्य शायद ही कोई अंतर है। अतः, हमारे सुविचारित अभिमत में, अभियोक्त्री की आयु अवधारित करने हेतु किशोर न्याय (बालकों का देखरेख और संरक्षण) नियम, 2007 के नियम 12 को लागू करना उचित एवं न्यायसंगत होगा।

13. अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए तथा पीड़िता के कथन और अन्य साक्ष्यों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय का यह सुविचारित अभिमत है कि अभियोजन यह सफलतापूर्वक स्थापित करने में सफल रहा है कि घटना की तिथि पर पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की थी।

14. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला में यह भली–भांति स्थापित किया गया है कि विधि का ऐसा कोई नियम नहीं है कि बलात्संग पीड़िता के परिसाक्ष्य पर महत्वपूर्ण विवरणों की संपुष्टि के बिना कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि पीड़िता अपराध के बाद कोई सह–अपराधी नहीं होती है, इसलिए उसके कथन की संपुष्टि पर शायद ही कोई बल दिया जाता है। **हिमाचल प्रदेश राज्य** विरुद्ध **श्रीकांत शेखर**[3] के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> "21. यह सुस्थापित है कि बलात्संग के अपराध की शिकार शिकायतकर्ता अभियोक्त्री, अपराध के बाद कोई सह–अपराधी नहीं होती है। विधि का ऐसा कोई नियम नहीं है कि उसके परिसाक्ष्य पर महत्वपूर्ण विवरणों की संपुष्टि के बिना कार्रवाई नहीं की जा सकती। वह एक आहत साक्षी की तुलना में उच्चतर पायदान पर स्थित है। पश्चातवर्ती स्थिति में, चोट केवल शारीरिक स्वरूप पर होती है, जबकि पूर्ववर्ती स्थिति में यह शारीरिक के साथ–साथ मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक भी होती है। यद्यपि, यदि न्यायालय तथ्यों के आधार पर अभियोक्त्री के कथन को उसके प्रत्यक्ष स्वरूप पर स्वीकार करना कठिन पाता है, तो वह ऐसे प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य की तलाश कर सकता है, जो उसके परिसाक्ष्य को संबल प्रदान करे। सह–अपराधी के संदर्भ में समझे जाने वाले संपुष्टि के स्तर से कम का संबल भी पर्याप्त होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. इसी प्रकार, **शिवशरणप्पा व अन्य** विरुद्ध **कर्नाटक राज्य**[4] के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय निम्नानुसार अवधारित किया है।

> "**17.** अतः, यह सुस्थापित विधि है कि न्यायालय एक बाल साक्षी के परिसाक्ष्य का अवलंब ले सकता है और यदि वह विश्वसनीय, सत्य है और अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए अन्य साक्ष्यों द्वारा उसकी संपुष्टि होती है, तो यह दोषसिद्धि का आधार बन सकता है। यह व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है कि विवेकशीलता

3 (2004) 8 SCC 153
4 (2013) 5 SCC 705

के नियम के रूप में, न्यायालय अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए अन्य विश्वसनीय साक्ष्यों से संपुष्टि देखना वांछनीय समझता है। साक्षी के एकमात्र कथन का अवलंब लेने के लिए जो सिद्धांत लागू होते हैं, अर्थात् यह कि कथन सत्य और उचित है तथा गुणवत्तापूर्ण है और इसे केवल संपुष्टि के अभाव के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है, वे एक ऐसे बाल साक्षी पर भी लागू होते हैं जो सक्षम है और जिसका विवरण विश्वसनीय है।"

16. पोक्सो अधिनियम के प्रकरण के अन्तर्गत, एक 'उत्कृष्ट साक्षी' से तात्पर्य ऐसे साक्षी से है जिसका परिसाक्ष्य उच्च गुणवत्ता और क्षमता का हो, इस सीमा तक कि न्यायालय अतिरिक्त संपुष्टि की आवश्यकता के बिना उनके द्वारा बताए गए घटनाक्रम को स्वीकार कर सके। माननीय उच्चतम न्यायालय के 'अनेक' प्रकरणों में सुस्थापित विधि है, जिनमें यह अवधारित किया गया है कि यदि पीड़िता का परिसाक्ष्य विश्वसनीय और 'उत्कृष्ट गुणवत्ता' का है, तो वह दोषसिद्धि हेतु पर्याप्त हो सकती है।

17. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **राय संदीप उर्फ दीनू** विरुद्ध **राज्य (एनसीटी दिल्ली)**[5] के प्रकरण में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"**22.** हमारे सुविचारित अभिमत में, 'उत्कृष्ट साक्षी' अत्यंत उच्च गुणवत्ता और क्षमता वाला होना चाहिए, जिसका विवरण अखंडनीय हो। ऐसे साक्षी के विवरण पर विचार करते हुए न्यायालय इस स्थिति में होना चाहिए कि वह बिना किसी संकोच के उसे उसके प्रत्यक्ष स्वरूप पर स्वीकार कर सके। ऐसे साक्षी की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए, साक्षी की सामाजिक स्थिति असंगत होगी और जो सुसंगत होगा, वह है उस साक्षी द्वारा किए गए कथन की सत्यता। इससे भी अधिक प्रासंगिक यह होगा कि कथन प्रारंभ से अंत तक सुसंगत हो, अर्थात् उस समय से जब साक्षी अपना प्रारंभिक कथन करता है और अंततः न्यायालय के समक्ष कथन करने तक। यह प्राकृतिक होना चाहिए और अभियुक्त के संबंध में अभियोजन के प्रकरण के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे साक्षी के विवरण में कोई भी छल-कपट या टालमटोल नहीं होनी चाहिए। साक्षी किसी भी अवधि की और कितनी भी कठिन प्रतिपरीक्षण का सामना करने की स्थिति में होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में घटना के तथ्य, संलिप्त व्यक्तियों और उसके क्रम के संबंध में संदेह की कोई आशंका नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसे विवरण का अन्य सभी सहायक सामग्रियों, जैसे की गई बरामदगी, प्रयुक्त हथियार, अपराध करने का

5 (2012) 8 SCC 21

तरीका, वैज्ञानिक साक्ष्य और विशेषज्ञ की राय के साथ सह–संबंध होना चाहिए। उक्त विवरण निरंतर अन्य प्रत्येक साक्षी के विवरण से मेल खाना चाहिए। यहाँ तक कि यह भी कहा जा सकता है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के प्रकरण में लागू परीक्षण के समान होना चाहिए, जहाँ अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्धि हेतु परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई भी कड़ी गायब नहीं होनी चाहिए। केवल यदि किसी साक्षी का विवरण उपरोक्त परीक्षण के साथ–साथ लागू किए जाने वाले अन्य सभी समान परीक्षणों पर खरा उतरता है, तभी यह माना जा सकता है कि ऐसे साक्षी को 'उत्कृष्ट साक्षी' कहा जा सकता है, जिसका विवरण न्यायालय द्वारा बिना किसी संपुष्टि के स्वीकार किया जा सकता है और जिसके आधार पर अपराधी को दंडित किया जा सकता है। अधिक सटीक रूप से कहें तो, अपराध के मुख्य केंद्र पर उक्त साक्षी का विवरण यथावत रहना चाहिए, जबकि अन्य सभी सहायक सामग्रियां, जैसे कि मौखिक, दस्तावेजी और भौतिक वस्तुएं, महत्वपूर्ण विवरणों में उक्त विवरण से मेल खानी चाहिए, ताकि अपराध का विचारण न्यायालय अन्य सहायक सामग्रियों को छानने और अपराधी को आरोपित अपराध का दोषी ठहराने के लिए मुख्य विवरण का अवलंब लेने में सक्षम हो सके।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. सुनील विरुद्ध **मध्य प्रदेश राज्य**[6] के प्रकरण के कण्डिका– 4 में निम्नानुसार अवधारित किया गया था:

"**4.** संहिता की धारा 53–क के प्रावधानों और इस न्यायालय के 'कृष्ण कुमार' [कृष्ण कुमार मलिक विरुद्ध हरियाणा राज्य, (2011) 7 एससीसी130] के निर्णय से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि आरोपी से लिए गए नमूनों का डीएनए परीक्षण करने में विफलता या जैसा कि वर्तमान प्रकरण में है, डीएनए प्रोफाइलिंग की रिपोर्ट साबित न कर पाना, अनिवार्य रूप से अभियोजन के प्रकरण की विफलता का कारण बनेगा। जैसा कि 'कृष्ण कुमार'[कृष्ण कुमार मलिक विरुद्ध हरियाणा राज्य, (2011) 7 एससीसी130] के प्रकरण की (कण्डिका 44) में अभिनिर्धारित किया गया है, धारा 53–क वास्तव में "अभियोजन को अपना प्रकरण साबित करने में सुविधा प्रदान करती है"। डीएनए परीक्षण का सकारात्मक परिणाम आरोपी के विरुद्ध एक निर्णायक साक्ष्य होगा; यद्यपि, यदि परीक्षण का परिणाम नकारात्मक आता है, अर्थात् आरोपी के पक्ष में है, या यदि किसी दिए गए प्रकरण में डीएनए प्रोफाइलिंग नहीं की गई है, तो भी अभिलेख पर उपलब्ध अन्य

6 (2017) 4 SCC 393

सामग्रियों और साक्ष्यों के महत्व पर विचार करना ही होगा। अब हम अभियोजन द्वारा अभिलेख पर लाई गई अन्य सामग्रियों की ओर रुख कर सकते हैं।"

19. इनायत अली विरुद्ध **तेलंगाना राज्य**[7] के प्रकरण में निम्नानुसार अवधारित किया गया था:

> "11. शिकायत का सार प्रत्यर्थी क्रमांक 2 के संतानों की पितृत्व से संबंधित नहीं था, बल्कि प्रश्न यह था कि क्या वर्ष 1860 की संहिता के उपरोक्त प्रावधानों के अधीन उसके विरुद्ध अपराध कारित किए गए थे या नहीं। प्रत्यर्थी क्रमांक 2 की दो बेटियों का पितृत्व उन आरोपों का एक पार्श्विक कारक है, जिन पर यह दाण्डिक प्रकरण अन्यथा आधारित है। उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर, हमारे अभिमत में, जिस प्रकरण से यह कार्यवाही उत्पन्न हुई है, उसका निर्णय डीएनए परीक्षण रिपोर्ट पर विचार किए बिना भी किया जा सकता था। यही वह तर्क था जिस पर 'अशोक कुमार' [अशोक कुमार विरुद्ध राज गुप्ता, (2022) 1 SCC 20] प्रकरण में 'समानांतर पीठ' द्वारा विचार किया गया था, हालाँकि वह एक व्यवहार वाद था। केवल इसलिए कि विधि के तहत कुछ अनुमेय है, उसे सामान्य प्रक्रिया के रूप में किए जाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता, विशेष रूप से तब जब इस आशय का निर्देश किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वायत्तता के लिए हस्तक्षेपकारी हो। इसका परिणाम केवल इस प्रश्न तक सीमित नहीं होगा कि क्या ऐसा आदेश परिसाक्ष्य संबंधी बाध्यता का कारण बनेगा, बल्कि इसमें निजता का अधिकार भी शामिल है। ऐसा निर्देश उन व्यक्तियों के निजता के अधिकार का उल्लंघन करेगा जिनका ऐसा परीक्षण किया जाना है और यह उन दोनों संतानों के भविष्य के लिए भी प्रतिकूल हो सकता है जिन्हें विचारण न्यायालय के निर्देश के सीमा में लाने का प्रयत्न किया गया था।"

20. दिलेश निषाद विरुद्ध **छत्तीसगढ़ राज्य**[8] के प्रकरण में निम्नानुसार अवधारित किया गया था:

> "**17.** अशोक कुमार (पूर्वोक्त) और इनायत अली (पूर्वोक्त) के प्रकरणों में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों को विचार में रखते हुए, यह सुस्पष्ट है कि पीड़िता का शिशु न तो इन वर्तमान दाण्डिक अपीलों में कोई पक्षकार है और न ही यहाँ वर्तमान दो अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इन दाण्डिक अपीलों में उसकी(कन्या शिशु) स्थिति/पितृत्व की जांच की जाना आवश्यक है; अत: पीड़िता के शिशु के पितृत्व का निर्धारण करना अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इन दाण्डिक अपीलों में बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है और पीड़िता के शिशु के डीएनए परीक्षण का निर्देश देना उस शिशु के निजता के अधिकार का

7 (2024) 7 SCC 822
8 MANU/CG/1664/2023: (17.08.2023- CGHC)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उल्लंघन होगा, जो कि एक संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण द्वारा के.एस. पुट्टास्वामी (आधार–5 जे.) विरुद्ध भारत संघ, (2019) 1 एससीसी 1" के प्रकरण में उद्घोषित किया गया है।"

21. उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में, यह सुस्पष्ट है कि डीएनए प्रोफाइलिंग न किए जाने के संबंध में यह सुस्थापित है कि अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्रियों और साक्ष्यों के महत्व पर अभी भी विचार करना होगा, तथा पीड़िता के शिशु के डीएनए परीक्षण का निर्देश देना उस शिशु के निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा, जो कि शिशु के लिए एक संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है।

22. वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लौटते हुए, पीड़िता (अ.सा.–1) ने स्पष्ट रूप से न्यायालयिक कथन किया कि दिनांक 02.09.2018 को, जब वह आर.बी. (परीक्षित नहीं) के घर पर पेइंग गेस्ट के रूप में रह रही थी, तब अपीलार्थी ने उसके कमरे में प्रवेश किया और उस समय वह अवयस्क थी। उस अवधि के दौरान, अपीलार्थी ने उसे लुभाने के लिए विभिन्न प्रकार की बातें भी कीं और उक्त तिथि को, उसने उसके साथ बलपूर्वक बलात्संग कारित किया और यह धमकी भी दी कि उसने एक निजी वीडियो बना लिया है और वह उसे वायरल कर देगा, तथा उसे उसके साथ शारीरिक संबंध जारी रखने चाहिए। नवंबर 2018 के महीने में, अपीलार्थी ने उसके कमरे में एक–दो बार प्रवेश किया और शारीरिक संबंध बनाए। इस भय से कि अपीलार्थी वीडियो वायरल कर देगा, उसने इस घटना का खुलासा किसी से नहीं किया। दिसंबर 2018 के महीने में वह गर्भवती हो गई और उसने इस बारे में अपीलार्थी को बताया और वह उससे विवाह करने के लिए सहमत हो गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

23. दिनांक 20.05.2019 को रात्रि में, उसने अपने कमरे में एक कन्या शिशु को जन्म दिया। अगले दिन अर्थात् 21.05.2019 को, उसके माता–पिता उसके कमरे में आए और उसने उन्हें पूरी घटना सुनाई। तत्पश्चात, उसी दिन शाम लगभग 6:30 बजे, अपीलार्थी को बुलाया गया और उसने पीड़िता से विवाह करने तथा कन्या शिशु को अपनाने का भी वादा किया। इस अवधि के दौरान, चूंकि शिशु का जन्म समय–पूर्व हुआ था और उसकी स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ रही थी, इसलिए पीड़िता (अ.सा.–1) और शिशु दोनों को दिनाँक 21.05.2019 को शासकीय चिकित्सालय, राजनांदगांव में भर्ती कराया गया। उनके अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान, अपीलार्थी भी उनके साथ उपस्थित था।

24. दिनांक 22.06.2019 को दोपहर लगभग 12 बजे, अपीलार्थी यह कहकर अस्पताल से चला गया कि उसे अपने कपड़े लेने हैं और अपने मित्र को मोटरसाइकिल वापस करनी है। हालाँकि, वह कभी वापस नहीं आया और उसने अपना फोन बंद कर लिया। ऐसी बाध्यकारी परिस्थितियों में, पीड़िता ने एक लिखित शिकायत (प्रदर्श पी/1) प्रस्तुत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। इस सूचना के आधार पर, प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी/2) पंजीबद्ध की गई। पीड़िता के पिता (अ.सा.–2) और उसके चाचा (अ.सा.–7) ने भी पीड़िता के कथन का समर्थन किया।

25. डॉ. मंजू राठौर (अ.सा.–4), जिन्होंने दिनांक 24.06.2019 को प्रदर्श पी/12 के माध्यम से पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण किया था, ने न्यायालयिक कथन किया कि पीड़िता ने उन्हें सूचित किया था कि उसने 21.05.2019 को एक कन्या शिशु को जन्म दिया है। परीक्षण करने पर, उन्होंने पाया कि पीड़िता के स्तनों के चूचुक गहरे रंग के थे, प्रसव के बाद होने वाले सामान्य खिंचाव के निशान मौजूद थे और स्तनों से दुग्ध स्राव हो रहा था जो सामान्यतः प्रसूति प्रसव के बाद होता है। अपने प्रतिपरीक्षण में, साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि खिंचाव के निशान की उपस्थिति और स्तनों से दुग्ध स्राव होने की बात उनकी चिकित्सीय रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं थी।

26. डॉ. नीलिमा ठाकुर (अ.सा.–8) ने भी पीड़िता का परीक्षण किया और पीड़िता के अस्पताल में भर्ती होने से संबंधित दस्तावेजों को प्रदर्श डी/1 से डी/16 के माध्यम से साबित किया। उक्त दस्तावेजों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि पीड़िता को दिनांक 22.05.2019 को लगभग 13:53 बजे प्रदर्श डी/2 के माध्यम से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव में भर्ती कराया गया था, क्योंकि ओ.पी.डी. पर्ची (प्रदर्श डी/11) और डिस्चार्ज टिकट (प्रदर्श डी/13) के अनुसार घर पर शिशु को जन्म देने के कारण उसे अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों के परिशीलन से, इस न्यायालय को विचारण न्यायालय के दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण अपनाने के लिए कोई भी महत्वपूर्ण आधार नहीं मिलता है, क्योंकि प्रतिपरीक्षण में ऐसा कुछ भी निकलकर नहीं आया है जिससे पीड़िता के कथन पर अविश्वास किया जा सके। चूंकि पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम पाई गई थी, अतः सम्मति असंगत है। पीड़िता के नाम में परिवर्तन के संबंध में, आधार कार्ड में उसका नाम 'एलसी' के रूप में दर्ज है, किंतु चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव में भर्ती के समय, इसे त्रुटिवश 'एनसी' के रूप में दर्ज किया गया था, जिसके लिए पिता ने एक शपथ पत्र (प्र.डी./10) प्रस्तुत किया है।

28. उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन अपीलार्थी के विरुद्ध अपने प्रकरण को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है।

29. चूंकि अपीलार्थी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2)(ढ़) के तहत एक ही महिला के साथ बार–बार बलात्संग कारित करने के अपराध का आरोप लगाया गया था और विचारण न्यायालय ने उसे लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षिप्त में, 'पोक्सो अधिनियम, 2012') की धारा 6 के अधीन भी दोषी पाया था; और चूंकि पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 5(l) किसी बालक पर एक से अधिक बार या बार–बार किए गए प्रवेशन लैंगिक हमले के अपराध से संबंधित है, इसलिए पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के प्रावधान लागू हुए। 2019 के संशोधन अधिनियम (संख्या 25) से पूर्व, इसमें न्यूनतम दण्ड दस वर्ष था और उक्त संशोधन के बाद, इसे बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया है।

30. उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध **सोनू कुशवाहा**[9] के प्रकरण में भी सुस्थापित विधि है कि जहाँ न्यूनतम दण्ड निर्धारित की गई है, वहाँ न्यायालय के पास कोई विवेकाधिकार शेष नहीं रह जाता है और न्यूनतम दण्ड अधिरोपित करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है, जैसा कि विचारण न्यायालय ने वर्तमान प्रकरण में किया है।

31. अतः दोनों ही पैमानों पर, विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को एतद्द्वारा यथावत रखा जाता है। वर्तमान दाण्डिक अपील सारहीन है और तदनुसार **खारिज** की जाती है।

32. अधिवक्ता द्वारा यह सूचित किया गया कि अपीलार्थी जेल में निरुद्ध है। वह विचारण न्यायालय द्वारा आदेशित दण्ड भुगतेगा।

33. रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि वह इस निर्णय की सत्यापित प्रतिलिपि अभिलेख सहित आवश्यक सूचना एवं अनुपालनार्थ संबंधित विचारण न्यायालय को प्रेषित करे।

34. रजिस्ट्री को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह इस निर्णय की एक प्रतिलिपि संबंधित जेल अधीक्षक जहाँ अपीलार्थी अपने कारावास का दण्ड भुगत रहा है,को प्रेषित करे तथा उसे यह सूचित करे कि वह इस न्यायालय द्वारा पारित वर्तमान निर्णय को उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति अथवा उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति की सहायता से माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर चुनौती देने हेतु स्वतंत्र है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–

(दीपक कुमार तिवारी)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

9 (2023) 7 SCC 475